कलकत्ता का विकास

4274. **श्रीमती सरला महेश्वरी :**
श्री मोहम्मद सलीम :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता के विकास और उसकी समस्याओं के संबंध में कलकत्ता नगर निगम के महापौर की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मांगों के संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) कलकत्ता को राष्ट्रीय महत्व का शहर घोषित करने और राष्ट्रीय बजट में इसके विकास को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नगर विकास राज्य का विषय है। भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय केवल एक नोडल भूमिका निभाता है तथा उसके पास राज्य सरकारों को नियमित करने के लिए कोई विवेकाधीन निधियां/विशेष निधियां नहीं हैं। नीति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रमुख महानगरीय शहरों को योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। अतः राज्य वार्षिक योजनाओं के माध्यम से उपयुक्त नियतन प्राप्त करने के लिये उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करना राज्य सरकारों का दायित्व है।

Delay in giving possession by DDA of LIG flats in Dilshad Garden

4275. KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any period has been fixed by the DDA for handling over the possession of Flats after payment in full has been made and all other formalities completed;

(b) whether it is a fact that the allottees of LIG flats in Dilshad Garden have not been given possession so far in spite of the fact that payment has been made in full and documents required deposited with DDA; and

(c) if so, whether Government are likely to make enquiry and see that possession is given immediately; if not, the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Possession letters for flats allotted by the DDA are issued immediately provided payments and documents are received in time are found in order.

(b) and (c) Few cases are pending for issuance of possession letters for want of verification of genuineness of the allottees and documents. In view of the above, the question of Government making an enquiry will arise only if Specific complaints are received.

Unauthorised construction on Govt. land

4276. KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of Government that on the main Narela Alipur road large scale of unauthorised commercial construction activity in front of the DSIDC Complex on MCD/DDA land is going on which has resulted in coming up of many Real Estate offices;

(b) the steps taken by Government to stop this unauthorised construction which is indirectly paving the way for corruption; and

(c) when this unauthorised commercial offices are likely to be demolished in order to overcome the difficulties in the near future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir. As reported by Municipal Corporation of Delhi, some unauthorised constructions have been noticed on Narela Alipur road on agricultural land.

(b) Demolition actions have been taken from time to time with police help against these unauthorised constructions.

(c) MCD reports that demolition action can be taken against the remaining unauthorised constructions immediately after completion of legal formalities and availability of adequate police force.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

4277. **श्री मोहम्मद अफ़जल उर्फ सीम अफजल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण और इसके स्लम विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) इन शिकायतों पर कार्यवाही करते समय कितने कर्मचारियों को निलंबित किया गया है ; और

(ग) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही चल रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) स्लम विंग सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता शाखा में 647 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) निलंबित किए गए कर्मचारियों की संख्या 135 है ।

(ग) नियमों के अंतर्गत 442 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में इंजीनियरों के पदों का विभाजन

4278. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य कार्यालय) में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पदों को संवेदनशील श्रेणियों में विभाजित किया गया है ; यदि हां, तो उक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत कितने पद हैं ;

(ख) क्या किसी अधिकारी को किसी संवेदनशील पद पर तैनात करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है यदि नहीं तो क्या ऐसे पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसी अधिकारी को तैनात किए जाने पर कोई कोई प्रतिबंध है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य कार्यालय) में इन समय संवेदनशील पदों पर कितने सहायक इंजीनियर (सिविल) कार्यरत हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के है ; और

(घ) क्या संवेदनशील पदों पर अपनी तैनाती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के इच्छुक सहायक इंजीनियर (सिविल) उपलब्ध हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सहायक इंजीनियरों (सिविल) के पदों को संवेदनशील और असंवेदनशील में विभाजित करने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।